

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 935 /FP/UK/ROAD/12364/2015 :देहरादून:दिनांक: 05— अक्टूबर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),  
25—सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद—अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अन्तर्गत नौला से थिरोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.427 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(ऑनलाइन फाईल नं 0 FP/UK/RQAD/12364/2015)


संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या—8बी/यू.सी.पी./06/123/2015/एफ0सी0/2001 दिनांक  
26-11-2015

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :—

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 10.854 हेतु भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹ 30,24,630.00 (रु० तीस लाख चौबीस हजार छ: सौ तीस) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम—कालून सिविल सोयम भूमि की शर्त अधिरोपित की गयी थी। उक्त के क्रम प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम—कालून में उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम—सेला, पटवारी क्षेत्र—दुर्गतू, तहसील—धारचूला, जनपद—पिथौरागढ़ में चिन्हित 10.854 सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, जिसको ऑनलाइन वेब—पोर्टल पर यथास्थान भी उपलोड कर दिया गया है। वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किये गये ग्राम—सेला सिविल सोयम भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक—1)
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि ₹ 35,65,539.00 (रु० पैतीस लाख पैसठ हजार पाँच सौ उन्तालीस) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—2)
4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि कुल ₹ 65,90,169.00 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाइन जमा कर दिया गया है। (संलग्नक—3)
5. शर्त संख्या—5 के अनुपालन में सङ्करण के पश्चात् जहाँ—जहाँ सम्बन्ध हो, सङ्करण के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।  
संलग्न—यथोपरि।



संख्या :- 935 /FP/UK/ROAD/12364/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
- जिलाधिकारी, जनपद—अल्मोड़ा।
- जिलाधिकारी, जनपद—पिथौरागढ़।
- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
- अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, लो०नी०वि०, द्वाराहाट।

(मनोज चन्द्रन)  
मुख्य वन संरक्षक

9/C